

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-232/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री संजय डाड आत्मज सत्यनारायण डाड निवासी 4/5 वर्द्धमान कालोनी भीलवाडा।

— प्रार्थी

बनाम

1. बी.एच.एल. एग्रीफूड पार्क(प्रा0) लि0 जरिये डायरेक्टर श्री लालचन्द नथरानी, नथरानी ब्रदर्स ए-15 कृषि उपज मण्डी भीलवाडा।

2. श्रीमति गीतादेवी पत्नि सत्यनारायण डाड, निवासी बाजार नं0 2 भोपालगंज भीलवाडा।

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

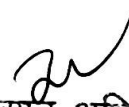
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 17.05.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम जीपिया प0ह0 मालोला भू0अ0नि0 सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 303 रकबा 0.7081 हैक्टेयर, किता 01 कुल रकबा 0.7081 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2073 ग्राम जीपिया प0ह0 मालोला भू0अ0नि0 सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 303 रकबा 0.7081 हैक्टेयर, किता 01 रकबा 0.7081 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएवं

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

// आदेश //

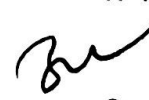
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम जीपिया प0ह0 मालोला भू0अ0नि0 सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 303 रकबा 0.7081 किता 01 रकबा 0.7081 हैक्टेयर, भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 150/-रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थीगण जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक सांगानेर 500/-रूपये (पांच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर सक्षम न्यायालय की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह बताया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में आवेदन दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 सांगानेर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय नचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु सूचित किया जावे।

  
(ओम प्रभा)  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 17.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा